Serial No. 9452 Circle:-:NA

Book No. :- 4 Deed No. 88

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

Y 302863

Serial No. 9452

Deed No. 88

हरि ओम नारायण कर्ण
मुद्रांक विक्रेता
एस०डी०ओ०कोर्ट ज०बाद
ला० न०.6/90

21 NOV 2017

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Jehanabad
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **09/12/2017** by **Jitesh Kumar**
A Stamp Duty of Rs. **5000**/- and other Fees of Rs. **2520**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **88** in Book No. **4**, Volume No. **3** on pages from **30** to **48** and has been preserved in total **19** pages in C.D. No. **1** / Year **2017**

Signature with Date
(**Md. Jawaid Ansari**)
Registering Officer, **Jehanabad**

Date: 09/12/2017 Token No: 9930 /2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक जहानाबाद

SCANNED BY

टैलेन्ट समाज सेवा संस्था का

न्यास-पत्र

संदर्भः- यह ट्रस्ट (न्यास) दिनांक 02.02.2017को ट्रस्टकर्ता श्री जितेश कुमार पिता श्री सच्चु सिंह निवासी ग्राम एंव पोस्ट लाव , थाना टेकारी, जिला गया (बिहार) के है जो ट्रस्ट (न्यास) के संस्थापक सह सचिव के रूप मे जाने जायेगें ने सामाजिक विकास के क्षेत्र मे लम्बे समय तक जुड़े रहने के बाद कुछ बुद्धिजीवीयो,

अध्यक्ष का ह0/-
शैलेन्द्र कुमार
09/12/2017

विलेख जाँचा

संस्थापक सह सचिव का ह0-
Jitesh Kumar
जितेश कुमार
09/12/2017

District Registry Office,Jehanabad

Token Number 9930 | Reg. Year 2017 | Serial Number 9452 | Deed Number 88

PresType	Name	Sig.	Photo / Thumb / Index / Middle / Ring / Little
Presented By	Jitesh Kumar	जितेश कुमार 09/12/2017	
	Jitesh Kumar	जितेश कुमार 09/12/2017	
Beneficiary	Tailent Samaj Sewa Sanstha		× Photo × Thumb × Index × Middle × Ring × Little
Trustee	Amarnath Das	अमरनाथ दास 09/12/2017	
Trustee	Bhushan Kumar	भूषण कुमार 9/12/2017	
Trustee	Shailendra Kumar	शैलेन्द्र कुमार 09/12/2017	
Trustee	Shankuntla Devi	शकुंतला देवी 9.12.2017	
Trustee	Shanti Kumari	शांति कुमारी 9/12/2017	

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 3300sob010

जितेश कुमार
09/12/2017

सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानो, शिक्षाविदो, एंव यूवको का एक बैठक कुर्था बाजार, पोस्ट कुर्था बाजार, थाना मखदुमपुर, जिला जहानाबाद (बिहार) मे आयोजित किया, जिसमें **टैलेन्ट समाज सेवा संस्था** नाम से एक न्यास की स्थापना करने का निर्णय लिया गया । यह न्यास समस्त भारतवासीयों के बीच अन्तयोदय से सर्वोत्तम के सिद्धांत पर काम करेगा। नीचे लिखे `लेख्यकारगण न्यास के न्यासी चयनीत किए गये एंव सभा मे चन्दा से 101000/-रूपये(एक लाख एक हजार रूपये) नगद जमा किया गया ।

1-ट्रस्ट(न्यास)कानामः- **टैलेन्ट समाज सेवा संस्था** के नाम से जानी जाएगी ।

2- ट्रस्ट(न्यास)का पंजीकृत कार्यालयः- ट्रस्ट का निबंधित कार्यालय इमलिया मोड़ कुर्था बाजार, पोस्ट कुर्था बाजार, थाना मखदुमपुर, जिला जहानाबाद (बिहार) मे अवस्थित होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुविधा एवं सहमति अनुसार कार्यालय स्थानान्तरित की जा सकेगी एवं आवश्यकतानुसार संस्था का शाखा अन्य जगहो भी खोला जा सकता है। जहाँ न्यास तय करेगा इसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालय को दे दी जाएगी।

3- ट्रस्ट(न्यास)का कार्य क्षेत्रः- इस न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार एवं आवश्यकतानुसार इसको सम्पूर्ण भारतवर्ष मे बढ़ाया जा सकेगा ।

4- ट्रस्ट(न्यास)का गठनः- ट्रस्टियों के नाम पुरा पता तथा पदनाम निम्न प्रकार है।

संस्थापक सह सचिव - श्री जितेश कुमार पिता श्री सच्चु सिंह

निवासी ग्राम एंव पोस्ट लाव, थाना

टेकारी, जिला गया पीन नं0 824236

संस्थापक सह सचिव

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

District Registry Office,Jehanabad

Token Number 9930 | Reg. Year 2017 | Serial Number 9452 | Deed Number 88

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee Sig.	Veena Devi वीणा देवी 9.12.2017						
Identified By Sig.	Girendra Kumar गीरेन्द्र कुमार 9.12.2017						

SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 3300sop010

गिरेन्द्र कुमार
09/12/2017

अध्यक्ष - श्री शैलेन्द्र कुमार पिता श्री रामलखन सिंह
ग्राम जलालपुर,पोस्ट सुप्पी,थाना काको,
जिला जहानाबाद पीन नं0 804427

कोषाध्यक्ष - श्रीमती शांती कुमारी पति श्री महेश प्रसाद,
ग्राम पोस्ट एंव थाना विशुनगंज, जिला-
जहानाबाद, पीन नं0 804405

सदस्य - श्रीमती वीणा देवी पति श्री हरेन्द्र विश्वकर्मा,
ग्राम ठिकरौर,पोस्ट कुर्था बाजार ,थाना-
मखदुमपुर जिला जहानाबाद 804427

सदस्य - श्री अमरनाथ दास पिता रीतलाल दास,
ग्राम कुर्था डिह,पोस्ट कुर्था बाजार,थाना-
मखदुमपुर,जिला जहानाबाद 804427

सदस्य - श्रीमती शकुन्तला देवी पति श्री सुरेन्द्र प्रसाद,
ग्राम कुर्था डिह,पोस्ट कुर्था बाजार, थाना-
मखदुमपुर, जिला जहानाबाद 804427

सदस्य - श्री भूषण कुमार पिता श्री शत्रुधन लाल,
ग्राम एंव पोस्ट विर्रा,थाना मखदुमपुर,
जिला जहानाबाद पीन नं0 804405

संस्थापक सह सचिव का
ह0- जितेन्द्र कुमार
09/12/2017

अध्यक्ष
शैलेन्द्र कुमार
09/12/2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

उपरोक्त सभी ट्रस्टियो ने सहर्ष ट्रस्टी बनना स्वीकार किया और ट्रस्ट फण्ड की उपरोक्त राशि प्राप्त की जो कि ट्रस्ट की स्थायी संपति मानी जाएगी ।

5-ट्रस्ट का उद्धेश्य - यह ट्रस्ट शैक्षणिक ,सांस्कृतिक,सामाजिक एंव परमार्थिक कार्यो को क्रियान्वित करने के लिये गठित किया गया है तथा इसके निम्नलिखित उददेश्य रहेगें ।

(क) उपर लिखे क्षेत्र के सर्वागीन विकास के लिएखासकर शोषित एवं पिड़ित एंव दबे कुचले वर्गो का आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और स्वास्थ कि उन्नति के लिए सहकारी संगठ्न तथा शिक्षण कार्य करना साथ ही इनके जीवन मूल्यो मे ऐसे परिर्वतन लाने का प्रयत्न करना जिससे व्यक्तिगत हितो से भौतिक आध्यातमिक प्रेरणाओ मे प्रेषित हो ।

(ख) हरिजन,आदिवासी,महिला,विकलांग तथा अन्य कमजोर वर्गो एवं दूसरे जरूरतमन्द लोगों का समाजिक ,भौतिक,आर्थिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक तथा अन्य सम्पूर्ण विकास कर उनका जीवन स्तर समता स्वतंत्रता सामाजिक न्याय एंव धर्म निरपेक्षता के आधार पर इस तरह के प्रयत्नो मे शान्तिमय साधनों द्वारा ऐसा गतिशिल समाज बनाना जो ग्राम स्वाबलम्बन एंव विकेन्द्रीकरण पर आधारित हो व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा जायेगा ।

(ग) धार्मिक स्थान,अनाथाश्रम,यज्ञशाला,औषधालय,धर्मशाला,गौशाला,वृद्धाश्रम इत्यादि का निर्माण एवं विकास मे आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना।

(घ) युवाओं के विकास हेतु युवा विकास केन्द्र की स्थापना करना तथा इससे सम्वन्धित सभी तरह के कार्य किये जायेगे जिससे युवाओ को रोजगार सुनिश्चित होगा एंव राष्ट्र के पति राष्ट्रीयता कि भावना जागृत होगी ।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रो मे ग्रामीण विकास हेतु सड़क निर्माण पुल पुलिया एवं नाली नहर पोखर उडाही इत्यादि के साथ पेय जल कि समुचित व्यवस्था कि जाएगी।

संस्थापक सह सचिव का ह0-

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष-

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

(च) ग्रामीण क्षेत्रो मे सिचाई किविभिन्न श्रोतो को विकसित कर समूचित सिचाई उपलब्ध करायी जाएगी एवं किसानों को नवतकनीक कृषि एवं उपकरण से जोड़ कर कृषि विकास कि व्यवस्था कि जायेगी ।

(छ) सभी प्रकार के राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय खेलो को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य करना अथवा कराना एवं सामान्य उददेश्यवाली संस्थाओ को सहयोग करना।

(ज) समाज के गरीब निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना अथवा कराना ।

(क्ष) प्राकृतिक आपदा जैसे ऑधी-तूफान,भूकंप,ज्वालामुखी,प्लेग महामारी इत्यादि सेपीडित लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना इसी प्रकार मानव निर्मित विपतियो जैसे हडताल , युद्ध ,दंगो से पीडित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओ का वितरण कार्य कर सहायता प्रदान करना अथवा कराना ।

(ज्ञ) महिलायों तथा युवतियो कोनवीन तकनीकी के क्षेत्र मे प्रशिक्षित करना ताकि उनकी भागीदारी आधुनिक उद्धोगो की स्थापना के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

(ट) समाज कल्याण ग्रामीण विकास मानव संसाधन विकास सूचना एवं प्रौधोगिकी विकास पर्यावरण सुरक्षा विज्ञान एंव शहरी विकास कार्यक्रमो के कियान्वयन है भारतसरकार /राज्यसरकार, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठ्नो, संस्थाओ ,ऐजन्सियो, विश्व बैकं विश्वस्वास्थ्य संगठ्न राष्ट्रीयकृत बैंको से दान-अनुदान ऋण एवं तकनिकी सहायता प्राप्त करना ।

(ठ) महिलाओं/युवतियों के समाजिक शैक्षणिक व्यवसायिक शिक्षा सहित आर्थिक भौतिक नैतिक विकास हेतु कुटीर उद्धोग कृषि आधारित उद्धोग लघु उद्धोग ग्रामोद्धोग मे प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल दक्षता विकास करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमो गतिविधियों केद्धारा चारित्रिक एंव नैतिक विकास करना ।

सदस्य संस्थापक सह सचिव का ह०/-

कार्यालय जिला अवर निबंधक ...नाबाद

(ङ) ट्रस्ट हेतु समय समय पर चल एंव अचल संपति को प्राप्त करना क्रय करना निर्माण पुनर्निर्माण करना जीर्णोद्धार करना सुधार करना विकास करना किराये पर लेना एंव देना ,विक्रय करना ऐसी कार्यवाही जो ट्रस्ट के हित मे हो तथा जिससे ट्रस्ट को आर्थिक आय हो तथा जिससे ट्रस्ट के उक्त उद्देश्यो की पूर्ति मे सहयोग प्राप्त हो।

(ढ) अन्य वो सभी समकालिक कार्य एवं उद्देश्य जो समाज के हित एंव विकास हेतु आवश्यक हो न्यास उद्देश्य के रूप मे शामिल एवं स्वीकार्य होगा ।

6-कार्यक्रम :-

(क) शैक्षणिक विकासके लिए सभा गोष्ठी समारोह सम्मेलन आयोजित करना एवं शिक्षा के कार्यक्रम का संचालन तथा गरीब निःसहाय बच्चो का शिक्षा ग्रहण करने मे मददकरना ।

(ख) ग्रामीणो के स्वास्थ कि रक्षार्थ स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी देना एवं टिकाकरण शिविर का आयोजन निःशुल्क करना ।

(ग) उघमीता विकास कार्यक्रम एवं उधमी पद्धति को प्रोत्साहन देना एवं आदिवासी एवं पिछडे वर्गो मे विघमान तकनिकी एवं आर्थिक क्षमताओं के विकास मे योगदान देना ।

(घ) र्प्यावरण एंव वाणिकि मे अपना पूर्ण योगदान एंव सुरक्षा का कार्यक्रम करना ।

(ङ) न्यास स्वास्थ्य से सम्वन्धित सभी तरह की सेवा सभी वर्गो के बीच उपलब्ध करायेगी ।

(च) प्रयोग,दूरदर्शन केन्द्र ,शिक्षण केन्द्र ,उत्पादन केन्द्र,सौर उर्जा केन्द्र,हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र,शिक्षण संस्थानो की स्थापना करना एवं बिक्री के लायक विभिन्न प्रकार के सुन्दर वस्तुओं का उत्पादन करना एवं करवाना और उसकी बिक्री की व्यवस्था करना ।

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

(छ) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन कार्य जैसे विधालय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज,आई.टी.आई.कॉलेज ,नरसिंग स्कूल व कॉलेज ,लॉ कॉलेज ,चिकीत्सा महाविधालय ,अभियन्त्रण महाविधालय एवं विधालय ,डेरी कॉलेज ,कृषि महाविधालय कॉलेज ,संध्या कॉलेज ,एम.बी.ए.कॉलेज एवं व्यवसायिक कॉलेज आदि संस्थाणों का संचालन कार्य।

(ज) प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत का कार्य करना ।

7- न्यास परिषद के अधिकारः-

उपयुक्त सम्मत उद्धेश्यो कि पूर्ति हेतु न्यास कीनिम्नलिखित अधिकार हैंः-

1) सामान विचार का स्वैच्छिक और सरकारी संस्थानो संगठनो और व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर सहकारिता के क्षेत्र को विकसित करना तथा संस्था के उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु संसाधन प्राप्त करना ।

2) किसी प्रतिष्ठान बैंक स्थानीय पदाधिकारीयों खादी ग्रामोउधोग बोर्ड केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओ व्यवसायिक प्रतिष्ठानो आदि से सभी प्रकार के ऋण अनुदान प्राप्त करना ।

3) न्यास कोष के लिए सदस्यता शुल्क सेवा शुल्क चन्दा दान श्रमदान अनुदान प्राप्त करना ।

4) न्यास के सभी उद्धेश्यो को अग्रसर करने के लिए शाखायें खोलने एंव संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियो का उतरादायित्व उठाना ।

8-न्यास का वितीय वर्ष :-

न्यास परिषद का वितीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च होगा ।

संस्थापक वह सचिव का ह0/

सदस्य

कार्यालय जिला अवर निबंधक ...ाबाद

9- न्यासियों की संख्या :-

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्टीयों की संख्या कम से कम तीन अधिकतम आवश्यकता अनुसार बढाया जा सकता है एंव संस्थापक सह प्रबंधक(सचिव) का पद आजीवन होगा ।

10- आय के श्रोत -

(क) सदस्यता एवं प्रवेश शुल्क द्वारा

(ख) राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय दातक संस्थाओं के दान अनुदान द्वारा

(ग) खादी और ग्रमोउधोग्र में विकास हेतु खादी और ग्रमोउधोग आयोग द्वारा

(घ) केन्द्रीय और राज्यसरकारी किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी एंव सामाजिक संस्थानो के माध्यम से ऋण एवं अनुदान द्वारा ।

11- सदस्यता :-

न्यास के कार्यो एंव उद्धेश्यों को मानने वाला कोई भी व्यक्ति ट्रस्टीज की स्वीकृति से न्यास की सदस्यता के योग होगा ।

12-ट्रस्टी बनने की योग्यता-

इस ट्रस्ट के उद्धेश्यो के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखनेवाला समर्पित सेवा मापी व्यक्ति पुरुष या महिला हो ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा किन्तु उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष वयस्क होना आवश्यक है एंव पागल या दिवालिया एंव अपराधि न हो ।

13-ट्रस्टी को पदच्युत करने की प्रक्रिया-

यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितो के प्रतिकुल कार्य करता है या ऐसा कार्य करता हो कि जिससे ट्रस्ट की संपति या प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानी हो रही हो अथवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से ट्रस्टी के कार्य करने के अयोग्य हो अथवा

संस्थापक सह सचिव का ह0/-
09/12/2017

सदस्य

कार्यालय जिला उप निबंधक ...बाद

इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन जो व्यक्ति ट्रस्टी बनने योग्य नही रह गया हो संस्थापक सह प्रबंधक को सफाई का मौका देकर ऐसे ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से निकाला जा सकेगा।

14-सदस्यता समाप्त होने की शर्त-

1- किसी भी सदस्य का न्यास से त्याग पत्र देने पर

2- न्यास के विरुद्ध कार्य करने पर

3- मृत्यु , पागल ,दिवालिया एंव नैतिक भ्रष्टाचार अभियोग मे न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर

4- सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर

5- सदस्यो को लगातार तीन वर्षो तक सदस्यता शुल्क नही देने पर

6- सदस्यो का लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित होने पर ।

15- न्यास परिषद के कार्य एंव अधिकार-

(क) न्यास मे कम से कम तीन कार्यकारिणी होगी आवश्यकता अनुसार इसे बढाया जा सकता है।

(ख) न्यास परिषद को नियम एंव उप नियम बनाने का अधिकार होगा।

(ग) बैठक मे प्रस्ताव पारित करना तथा न्यास के आवश्यकताओ कि पूर्ति हेतु जो कार्य आवश्यक एंव हितकर हो उस पर विचार करना एंव क्रियान्वित करना ।

(घ) समय समय पर कागजात एंव निधि की जॉच करना ।

(ङ) सेटलर व सचिव द्वारा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर सहमति प्राप्त करना ।

संस्थापक सह सचिव का ह0/-

कार्यालय जिला अवर निबंधक जहानाबाद

(च) यदि किसी कारण सेप्रबंध समिति मे कोइ पद रिक्त होता है तो शेष सदस्य कार्य संचालन करने मे समर्थ होगें वशर्ते बैठ्क का फोरम पुरा करने के लिए अपेक्षित दो तिहाई सदस्य उपस्थित हो ।

(छ) रिक्त पदो पर दो तिहाइ बहुमत से पुनः नियुक्ति करना ।

(ज) ट्रस्ट की उपार्जित समस्त चल एंव अचल संपतियों ट्रस्ट के नाम से रहेगी किन्तु उपरोक्त संपतियों को बोर्ड ऑफ संस्थापक सह प्रबंधक को ट्रस्ट के हित मे उपयोग करने बिक्रय करने खरीदने हस्तानान्तरित करने का अधिकार रहेगा ।

(झ) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित मे विभिन्न व्यक्तियों सरकारी अर्द्धसरकारी निजी संस्थाओं आदि से नगद अथवा वस्तुओं के रूप मे अथवा अन्य प्रकार से स्वैच्छिक दान,ग्रान्ट ,सहायता,अंशदान आदि प्राप्त कर सकेगें एंव उपरोक्तनुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेगें ।

(ञ) बोर्ड ऑफ संस्थापक सह प्रबंधक को ट्रस्ट की विभिन्न पूंजियो चल एंव अचल संपति एवंनगदी का विनियोजन लिम्नलिखित संस्थाओं मे करने का अधिकार रहेगा -

1- राष्ट्रीयकृत बैंको, 2- सरकारी प्रतिभूतियो, 3- यूनिट ट्रस 4- सामाजिक संस्था के ऋण पत्र, 5- सार्वजनिक कंपनियों के अंशो मे या सावधि जमा केरूप में, 6- म्युचुयल फण्डस की योजनाओं मे तथा, 7- ऐसी अन्य प्रतिभूतियो मे कर सकेगें जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानो के तहत अनुमोदित है

8- सम्पूर्ण भारतवर्ष मे समिति गठ्ति करके कही भी खाता राष्ट्रीकृत बैंको मे खाता खोल सकतेहै जैसे पंजाब नेशनल बैंक,स्टेट बैंक,सेन्ट्रल बैकं आदि ।

(ठ) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यो के लिए संस्थापक सह प्रबंधक संस्था बैंक सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी विभागो संस्थाओ से ट्रस्ट की ओर से अनुबंध हस्ताक्षर

संस्थापक सह सचिव का ह०/- मिथिलेश कुमार 09/12/2019

गवाह- अनिल कुमार ... ग्राम - ... पो० - ... जिला - जहानाबाद 9/12/2019

कार्यालय जिला अवर निबंधक जहानाबाद

कर निष्पादित करने प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने आलेख तैयार करने के लिये अधिकृत होगें।

(ड) बोर्ड ऑफ संस्थापक सह प्रबंधक यदि चाहे तो ट्रस्ट के कार्यो के लिये वैतनिक या अवैतनिक विभिन्न कर्मचारियों जैसे प्रभारी, सहायक ,टकंक ,लिपिक, रोकडिया ,लेखाकार, निरीक्षक ,सफाई कर्मचारी ,पुजारी ,सेवक इत्यादि को नियुक्त करने उनके वेतन भत्ते एंव उनके अधिकार कर्तव्य एंव दायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने निलंबित करने आदि के लिये अधिकृत होगे।

(ढ) बोर्ड ऑफ संस्थापक सह प्रबंधक ट्रस्ट के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियो बैंक वित्तीय एंव अन्य संस्थाओं साख समितियो से ब्याज पर अथवा बिना ब्याज पर अथवा बिना ब्याज के ऋण ले सकेगें एवं प्रतिभूति बतौर ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पति को गिरवी भी रख सकेगें ।

16- अध्यक्ष के अधिकार एंव कर्त्तव्य-

(क) अध्यक्ष सभी बैठ्को मे अध्यक्षता करेगें

(ख) संस्था की सभी बैठ्को का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठ्कों के लिये एजेण्डा/कार्यक्रम बनाना ।

(ग) न्यास परिषद मे अगर किसी भी निर्णय मे मतो का सामान विभाजन होता है तो अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा ।

(घ) संस्था के सभी अभिलेखो को सुरक्षित रखना एंव हस्ताक्षर करना ।

(ड) सचिव की सहमति से बैठ्क मे पारित किये गये प्रस्तावो का सम्पादन करना/ अनुपालन करना ।

(च) सचिव के राय से अन्य कार्य सम्पादित करना ।

संस्थापक सह सचिव का ह०- जितेन्द्र कुमार 07/12/2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक जहानाबाद

17- *संस्थापक सह सचिव के अधिकार एंव कर्त्तव्य-*

(क) सचिव संस्था की एकता का प्रतीक होगा और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा , सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा तथा सभी प्रकार की बैठक का अवलोकन करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति मे निर्णायक मत देने के अधिकारी होगें।

(ख) न्यास परिषद की बैठको का आयोजन करना एंव बैठक मे लिये गये निर्णय को कार्यवाही पुस्तिका मे दर्ज करना ।

(ग) न्यास परिषद द्वारा पारित सभी कार्यो को सम्पादित करना ।

(घ) न्यास परिषद द्वारा पारित सभी तरह के कार्यो का संचालन करना काम का विभाजन करना एंव व्यवस्था आदि देखना ।

(ड) आकस्मिक परिस्थिति मे किसी ऐसी खर्च की स्वीकृति देना जो वजट मे नही है वह अध्यक्ष से परामर्श लेकर कर सकते है।विशेष परिस्थिति मे कम से कम पन्द्रह हजार रूप्या विना सूचना के खर्च करना एवं बाद मे कार्यकारीणि से अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा ।

(च) न्यास परिषद द्वारा संचालित सभी तरह के कागजातो को देखना , आय व्यय का लेखा जोखा रखना कार्य का मूल्याकंन करना आदि।

(छ) न्यास परिषद द्वारा संचालित कार्यो के लिए चन्दा दान अनुदान प्राप्त करना ।

(ज) संस्था के कार्यकर्ता कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकारीयो कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करने पर प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त करना ।

संस्थापक सह सचिव का
ह0- जितेन्द्र कुमार
07/12/2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

18- कोषाध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य-

(क) संस्था के समस्त आय व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना वार्षिक बजट प्रस्तुत करना तथा सचिव को अद्यतन जानकारी समय समय पर देना ।

(ख) जमा कोष से रूपये की निकासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

(ग) संस्था के कोष अथवा रोकड और बैंक बुक को सुरक्षित रखने का उतरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा , अधिक से अधिक एक लाख रूपये तक नगद संस्था के कार्यो के लिये कोषाध्यक्ष अपने पास रखेगें ।

19- फोरम -

ट्रस्ट के विभिन्न मुददो पर विचार करने हेतु ट्रस्टी गण समय समय पर बैठक का आयोजन करेगे तथा उसमे लिये गये निर्णयो के आधार पर उन्हे कियान्वित करेगें ।

न्यास परिषद फोरम उसके दो तिहाई सदस्यो का होगा ।

20- बैठक -

न्यास परिषद की बैठक वर्ष मे एक बार होगी लेकिन आपातकालिन बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

21- निर्णय , चुनाव एंव नियमावली मे परिवर्तन-

न्यास परिषद के सभी निर्णय चुनाव एंव नियमो मे संशोधन , परिवर्तन, नियमो का निर्माण , प्रबंध समिति द्वारा दां तिहाई के बहुमत से होगा ।

22- कार्यकाल -

न्यास परिषद का कार्य काल पॉच वर्षो का होगा यदि किसी कारण से समय सपर नई समिति का निर्वाचन नही हो सका तो वही समिति तब तक कार्य करते रहेगी।

23- बैंक खाता का रख रखाव-

न्यास के नाम से प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत / निबंधित बैंक या डाकघर मे रखा जायेगा न्यास के खाता न्यास के संस्थापक सह सचिव एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाएगा

न्यास परिषद केकार्यो के लिए बैंक खाते मे धन राशि की निकासी न्यास के सचिव के द्वारा होगे उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ,अर्थात बैंक के खाता का संचालन संयुक्त रूप से होगा ।

24-न्यास परिषद की सम्पति-

_____न्यासियो द्वारा जुटाये गये 100000/-(एक लाख)रूपये से इस न्यास का स्थापना किया जा रहा है बाद मे जरूरत के अनुसार संसाधन न्यास के लिए विभिन्न श्रोतो से संग्रह किया जाएगा।

25-न्यायिक क्षेत्राधिकार-

_____कानूनी सभी तरह का विवाद स्थानीय न्यायालय जहानाबाद मे ही किया जाएगा एंव इससे सम्बन्धित सभी तरह के प्रचार एंव न्यायिक प्रकिया हेतु जिम्मेवारी सचिव की होगी।

संस्थापक सह सचिव का ह0/-
मिथिलेश कुमार
09/12/2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

26-नामाकंन -

संस्थापक सह प्रबंधक ट्रस्टी अपने जीवनकाल मे ही उतराधिकारी नामांकित कर सकेगें , उनके द्वारा चयनित व्यक्ति इसका उतराधिकारी माना जाएगा ।

27-न्यास परिषद का विघटनः-

न्यास का विघटन न्यास परिषद मे तीन चौथाई सदस्य अगर इसबात से सहमत हो कि अब इस न्यास को चलाने की आवश्यकता नही रह गई है तो सभी दायित्व एंव कर्ज की अदायगी कर न्यास का विघटन कर बची हुई चल एंव अचल सम्पति को किसी दुसरे न्यास या समिति को दिया जाएगा जो समान विचार धारा के हो ।

सामान्य बातें

1) ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिये प्रबंध तथा प्रशासन संबंधी कार्यकारी समिति/बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मे निहित होगें।

2) संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना किसी व्यक्ति ,समाज, समुदाय विशेष के लिये न होकर सभी जाति,धर्म संप्रदायों तथा वर्गो के व्यक्तियों केहितो के लिये की गयी है।

3) ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जाएगा,जिसमे विभिन्न बैठको मे लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जाएगा तथा उस पर संस्थापक सह सचिव के हस्ताक्षर होगें।

4) ट्रस्ट की सभी कार्यवाहियो एंव व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जाएगा ।

संस्थापक सह सचिव का ह0/-
मिथिलेश कुमार
07/12/2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

5) ट्रस्ट की बैठक मे सभी निर्णय बहुमत से लिये जाएगें किन्तु इस हेतु बैठक मे किसी मुदद्धे पर समान मत न होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा ।

संस्थापक सह सचिव का
ह0/- जितेन्द्र कुमार
09/12/2017

6) इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल संपति काउपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये नही कर सकेगा ।

7) इस ट्रस्ट डीड मे या ट्रस्ट के उद्धेश्यो की पूर्ति के लिये बनाये गये विभिन्न नियमो या उपनियमों मे परिवर्तन या परिवर्तन आवश्यक हुआ तो ट्रस्टीयो द्वारा 3/4 तीन चौथाई बहुमत से आवश्यक परिर्वतन ,संशोधन किया जा सकेगा।

8) यह ट्रस्ट अखण्डनीय हैं।

ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र मे यदि कोई बात स्पष्ट नही है या लिखने मे छुट गयी हो तो उसका निर्णय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 अथवा उस समय प्रचलित कानून या इस संदर्भ मे सरकार द्वारा लागु तमाम अद्धयतन नियम कानून के अनुसार किया जाएगा ।

कार्यालय जिला अवर निबंधक
जहानाबाद

अतः तदानुसार इस ट्रस्ट की घोषणा ट्रस्ट के संस्थापक व आजीवन ट्रस्टी ने निम्नलिखित ट्रस्टीयों एंव साक्षियों की उपस्थिति मे सोंच समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वोपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करने के उददेश्य से हस्साक्षर कर निष्पादन किया ।

संस्थापक सह सचिव का ह0/- जितेश कुमार 09/12/2017

अध्यक्ष का ह0/- शैलेन्द्र कुमार 09/12/2017

शांति कुमारी 9/12/2017

कोषाध्यक्ष का ह0/-

वीणा देवी 9/12/2017

सदस्य का ह0/-

अमरनाथ प्रसाद 9/12/2017

सदस्य का ह0/-

शकुंतला देवी

सदस्य का ह0-

भुवन कुमार 9/12/2017

सदस्य का ह0-

टकक-बबन प्रसाद ,जहानाबाद।

दिनांक08.12.2017ई0

ड्राफ्टकर्ता-

सच्चिदानंद शर्मा,अधिवक्ता,जहानाबाद।

Sachidanand Sharma Advocate
L. No 3775/1996
Civil Court Jehanabad 9/12/2017

कार्यालय जिला अवर निबंधक जहानाबाद

Sachidanand Sharma
Advocate
9775/1996
Civil Court Jehanabad

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 5000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	6520/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	2020	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2020

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2520

Registering Officer
Jehanabad

Date: 09/12/2017

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Jehanabad on Saturday, 09th December 2017 by Jitesh Kumar S/O Sachchu Singh by profession Others. Status -

जितेश कुमार 09/12/2017

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:09/12/2017**

Registering Officer
Jehanabad

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Girendra Kumar' age '48' Sex 'M', 'S/O Surendra Prasad', resident of 'Kurtha Dih Ps:-Makhdumpur Dist;-Jehanabad'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Jehanabad

Date : 09/12/2017

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Jehanabad in Book 4 Volume No. 3 on pages on 30 -48, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-1 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

कार्यालय जिला अवर निबंधक जहानाबाद

Registering Officer
Jehanabad

Date : 09/12/2017

Token No. : 9930 **Year : 2017** **R.No. : 9452** **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . : 88**

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

MSME
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER : UDYAM-BR-15-0006534

NAME OF ENTERPRISE : M/S TAILENT SAMAJ SEVA SANSTHA

TYPE OF ENTERPRISE *

SNo.	Classification Year	Enterprise Type	Classification Date
1	2023-24	Micro	21/09/2023

MAJOR ACTIVITY : SERVICES

SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR : GENERAL

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	M/S TAILENT SAMAJ SEVA SANSTHA

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	IMALIYA MORE	Name of Premises/ Building	KURTHA DIH
Village/Town	MAKHDUMPUR	Block	KURTHA BAZAR
Road/Street/Lane	TEHTA	City	JEHANABAD
State	BIHAR	District	JEHANABAD , Pin 804427
Mobile	9852567134	Email:	residentialtalentpublicschool@gmail.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE : 02/02/2017

DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS : 02/02/2017

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	85 - Education	8510 - Primary education	85102 - Primary education (education at the first level)	Services
2	88 - Social work activities without accommodation	8890 - Other social work activities without accommodation n.e.c.	88900 - Other social work activities without accommodation n.e.c.	Services

DATE OF UDYAM REGISTRATION : 21/09/2023

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from https://udyamregistration.gov.in & Date of printing:- 21/09/2023

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: JEHANABAD (BIHAR)

2. MSME-DFO: PATNA (BIHAR)

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; ww...v.in

Follow us @minmsme & @r...

TAILENT SAMAJ SEVA SANSTHA

Unique Id of VO/NGO	BR/2022/0332529
DARPAN Reg. Date	17-12-2022

Registration Details

Registered With	Sub-Registrar
Type of NGO	Other Registered Entities (Non-Government)
Registration No	88
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	TRUST ACT
City of Registration	MAKHDUMPUR
State of Registration	BIHAR
Date of Registration (Society / Trust / Entity)	09-12-2017

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
JITESH KUMAR	Trustee	Available	Available
RAJESH RANJAN	Trustee	Available	Available
DIVYA KUMARI	Trustee	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues	Agriculture,Art & Culture,Dalit Upliftment,Education & Literacy,Health & Family Welfare,Women's Development & Empowerment

https

Operational Area-States	Not Available
Operational Area-District	Not Available

FCRA details

FCRA Available	FCRA Registration no.
Not Available	Not Available

Details of Achievements

Not Available

Source of Funds

Department Name	Source	Finacial Year	Amount Sanctioned	Purpose
Not Specified	Any Other	2018-2019	Not Specified	PUBLIC DISTRIBUTION
Not Specified	Any Other	2019-2020	Not Specified	PUBLIC DISTRIBUTION
Not Specified	Any Other	2020-2021	Not Specified	PUBLIC DISTRIBUTION
Not Specified	Any Other	2021-2022	Not Specified	PUBLIC DISTRIBUTION

Contact Details

Address	Imaliya More, Kurtha Dih, Tehta, Makhdumpur, Jehanabad, Bihar, 804427
City	MAKHDUMPUR
State	BIHAR
Telephone	Not Available

Registration no: (23915402021919182852) Date: (19-04-2024) Valid till: (19-4-2027)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | JEHANABAD
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

RESIDENTIAL TALENT PUBLIC SCHOOL

IMALLIYA MORE, KURTHA DIH, MAKHDUMPUR, JEHANABAD

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 19-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 19-04-2024 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय RESIDENTIAL TALENT PUBLIC SCHOOL, IMALLIYA MORE, KURTHA DIH, MAKHDUMPUR, JEHANABAD, KURTHA DIH, 804427 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 19-04-2024 से 19-4-2027 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 3 डिसमिल

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 3 डिसमिल

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :- COMPUTER,LIBRARY & OTHER

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 9

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 2

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 2 , Girls 2

(VII) पेयजल की सुविधा :- 5

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- ???? ????? 10, ???? 12, ????? 2, ??? 10, ?????? ???? 10, ????? 12, ??????????? ????? 5, ????????? 7, ??????? 1, ??????????+???? 1, ?????????? 1 , ??????? ??? ??????? 2, ???? ????? 4, ??? 4, ???? 10, ????? ??? 1, ?????? 2, ??????? 6, ????? ??? 4 , (Y , 300 , NewsPaper MagaZine:- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23915402021919182852, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, JEHANABAD
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NOC LETTER